न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 73/2015 (223 आरटीए) जोधाराम वगै. बनाम बगसाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00075)

1 जोधाराम पुत्र फगलूराम,
2 सहीराम पुत्र फगलूराम,
3 मेगाराम पुत्र फगलूराम,
4 श्रीमती सायरी पत्नी फगलूराम,
5 मानाराम पुत्र रामुराम
सभी जाति विश्नोई, निवासी–गांव पल्ली, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 बगसाराम उर्फ बगसिया उर्फ बरसिंगाराम पुत्र रामूराम,
2 रामनारायण पुत्र गुलाबाराम,
3 रामकरण पुत्र गुलाबाराम,
4 श्रीमती लैली पत्नी गुलाबाराम
सभी जाति विश्नोई, निवासी गांव पल्ली, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
5 राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 28.10.2014 राजस्व वाद सं. 73/2004

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला।
3 रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर के राजस्व वाद सं. 73/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 73/2004 पेश किया गया। जिसमें खसरा नं. 207 रकबा 105 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 214 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 206 रकबा 1 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 122 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सेखाला तहसील बालेसर पर वक्त सेटलमेंट वादी के नाम पट्टा जारी हुआ था लेकिन राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों ने संवत 2028 से 2031 की जमाबंदी में वादी/रेस्पो. सं. 1 का नाम विलोपित करते हुए संपूर्ण खाता फगलिया वल्द मंगला का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया एवं शेष हिस्सा का कोई इन्द्राज नहीं किया जिसके दुरस्त किया जाकर वादी रेस्पो. सं. 1 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट/प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीयक कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 को पारित कर दी।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.102014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स श्री रुघाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो. ग्राम पल्ली के स्थाई निवासी हैं अधीनस्थ न्यायालय ने गलत पते पर सम्मन ग्राम सेखला भेजे गए सम्मनों पर भी रिपोर्ट आई है कि अपीलांट्स ग्राम सेखला में नहीं रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सही पते पर सम्मन जारी नहीं हुए न कोई प्रार्थना पत्र पेश हुआ न्यायालय ने गलत पते पर जारी सम्मनों को समुचित तामील मानते हुए अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की है। वादी/रेस्पो. सं. 1 तीन भाई थे लेकिन वादी ने दोनों भाइयों को पक्षकार बनाए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय से विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जबकि रामूराम के तीन पुत्र बगसाराम, मानाराम, गुलाबाराम का वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा अधिकार था इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलांट की समुचित तामील विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं हुई थी लेकिन विचारण न्यायालय ने डाक द्वारा सम्मन भेजने को आधार मानकर दिनांक 16.02.2008 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि अपीलांट्स पर किसी प्रकार की तामील नहीं हुई। अपीलांट्स मेगाराम की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2008 को स्वीकार करते हुए एक

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी लेकिन अपीलांट्स को जवाब दावे का अवसर दिए बिना ही पत्रावली साक्ष्य हेतु मुकर्रर कर दी गई। अपीलांट मानाराम पुत्र रामूराम की ओर से दिनांक 31.05.2008 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट मानाराम का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2008 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया एवं प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर किया गया जबकि वादी की ओर से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। वादी रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सबूत का अवसर समाप्त करने के बाद मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य बंद होने के बाद मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती। वादी रेस्पो. सं. 1 बगसाराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा किसके खाते में दर्ज किया गया। यहां पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट सं. 1 से 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज होता रहा है वादी रेस्पो. सं. 1 ने जानबूझ कर हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए वाद काबिले खारिज था। वादी रेस्पो. सं. 1 ने जो सजरा खानदान बताया है वह गलत है जिसके आधार पर वाद डिक्री करवाया काबिले खारिज है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी रेस्पो. सं. 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे कब्जा साबित होता हो, बिना कब्जे के वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार करने का भी निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला ने बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए सैटलमेंट में इन्द्राज के आधार पर दावा पेश किया था। अपीलांट को उसके सही पते पर रजि. ए.डी. से सम्मन भिजवाए गए, रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीदों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी एक पक्षीय कार्यवाही विधि के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। दिनांक 17.05.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही भी अपास्त कर दी गई उसके बाद दिनां 27.08.2008 को पुनः एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उसके बाद आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ वह न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलांट को पर्याप्त अवसर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान किए परंतु अपीलांट ने उपस्थिति नहीं दी व न पैरवी की जिससे एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

कार्यवाही की गई। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व विधि के प्रावधानों के अनुसार सही पारित किया है।

अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट की तामील ग्राम पल्ली में रजि. ए.डी. से होने के बाद उन्हे सूचना मिल चुकी थी। रजि. ए. डी. की रसीदें संलग्न हैं। अपीलांट ने धारा–5 में अपील में हुई देरी को कंडोन करने के लिए जो तथ्य दिए हैं उनका कोई आधार नहीं हैं जो तथ्य हैं वे मनगढ़त एवं झूठे हैं। अतः अपील मियाद बाहर है। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपने इस तथ्य की पुष्ठि में न्याायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2002(1) पेज 33 पेश किया जिसमें यदि अपील पेश करने में जो देरी का कारण बताया है वह संतोषप्रद कारण नहीं तो अपीलांट के द्वारा आशा से भी अधिक मियाद बाद पेश की गई हो तो अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

6 रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपील मियाद बाहर है या नहीं इस बिंदु को निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2014 को पारित किया गया जबकि अपील दिनांक 05.10.2015 को पेश की गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट ग्राम पल्ली में निवास करते हैं जबकि सम्मन ग्राम सेखाला तहसील बालेसर में भेजे गए इस कारण प्रार्थीगण को समुचित तामील नहीं हुई। रेस्पो. सं. 1 ने एकपक्षीय डिक्री की पालना के लिए दिनांक 29.09. 2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया तो अपीलांट को दिनांक 30.05.2015 को अपीलाधीन एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट ने दिनांक 01.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 01.10.2015 को निर्णय व डिक्री की नकल अपीलांट को प्राप्त हुई उस दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट ने न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। रेस्पो. सं. 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट की तामील ग्राम पल्ली में रजि. ए.डी. से होने के बाद उन्हे सूचना मिल चुकी थी। रजि. ए.डी. की रसीदें संलग्न हैं। अपीलांट ने धारा–5 में अपील में हुई देरी को कंडोन करने के लिए जो तथ्य दिए हैं उनका कोई आधार नहीं हैं जो तथ्य हैं वे मनगढ़त एवं झूठे हैं। अतः अपील मियाद बाहर है। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपने इस तथ्य की पुष्ठि में न्याायिक

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दृष्टांत आर.आर.टी. 2002(1) पेज 33 पेश किया जिसमें यदि अपील पेश करने में जो देरी का कारण बताया है वह संतोषप्रद कारण नहीं तो अपीलांट के द्वारा आशा से भी अधिक मियाद बाद पेश की गई हो तो अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य बताया। इस प्रकरण में अपील पेश करने में जो बिलंब हुआ है वह लगभग 8 माह का है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किए गए हैं तथा अपने कथन की पुष्ठि में अपीलांट जोधाराम का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। रेस्पों. के अधिवकता ने अपीलांट के धारा–5 के प्रार्थना पत्र का जबाब मय शपथ पत्र पेश किया एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि तथ्य झूठे अंकित किए गए हैं तथा अपनी बहस के समर्थन में न्यायियक दृष्टांत पेश किया है। रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2002(1) पेज 33 के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस नजीर में वर्णित प्रकरण में अपीलांट की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया था अर्थात एकपक्षीय निर्णय व डिक्री नहीं थी तथा अपील पेश करने में एक वर्ष से भी अधिक समय की देरी की है अतः यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से इस पर चस्पा नहीं होता है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में विवेचन किया है कि वाद पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया न ही प्रतिवादीगण ने वादी के गवाहान वादी स्वयं सुखाराम गवाह जोराराम की जिरह की गई। खतोनी बंदोबस्त संवत 2013 में फगलिया वल्द मंगला व बगसिया वल्द रामुड़ा इन्द्राज है जमाबंदी संवत 2020 से 2023 व 2024 से 2027 में भी वादी का इन्द्राज है जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में केवल प्रतिवादीगण के पिता फगलिया वल्द मंगला 1/2 हिस्सा दर्ज है शेष 1/2 हिस्से को कोई इन्द्राज नहीं है न ही कोई अन्य इन्द्राज हैं। इस तरह इसके बाद में की गई जमाबंदी जमाबंदी संवत 2057 से 2060 तक प्रतिवादीगण के पिता का नाम ही अंकित है इस तरह राजस्व अभिलेख प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि वादी का नाम गलत रूप से विलोपित कर हटाया गया है जो राजस्व रिकार्ड से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण का हक अधिकार भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है क्योकि राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादीगण अपने 1/2 हिस्से पर दर्ज हैं एवं काबिज काश्त हैं शेष 1/2 हिस्से पर वादी काबिज हैं एवं हकदार हैं इस तरह वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल रहा है एवं वादी अपने नाम वाद पत्र में दर्ज जमीन मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खसरा नं. 207 रकबा 105 बीघा 14 बिस्वा,

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 214 रकबा 17 बीघा, खसरा नं. 206 रकबा 1 बिस्वा ग्राम सेखला में वादी को प्रत्येक खसरे की भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है।

उक्त निर्णय व डिक्री में अपीलांट का मुख्य आपत्ति यह है कि वादी रेस्पो. सं. 1 तीन भाई बगसाराम, मानाराम, गुलाबाराम थे उन तीनों के नाम ही राजस्व रिकार्ड सेटलमेंट के वक्त था लेकिन अकेले बगसाराम ने भाइयों को पक्षकार बनाए बिना ही एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवा ली है जो विधि विरुद्ध है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पो. सं. 1 के साथ उनके भाइयों का नाम हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में दर्ज इन्द्राज के आधार पर ही पक्षकार बनाए हैं एवं पूर्व इन्द्राज को ही दुरस्त किया है। जहां तक अपीलांट की एक पक्षीय कार्यवही एवं तामील का प्रश्न है उसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई थी व जबाब का अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट की ओर से पैरवी नहीं की गई। उसके बाद न्यायालय ने उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अपीलांट ने इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वाद ग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में बगसाराम के अन्य दो भाइयों मानाराम व गुलाबाराम का भी नाम दर्ज रहा हो। अतः उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 यथावत रखा जाता है।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

अपील संख्या 73/2015

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.जोधाराम पुत्र फगलूराम, 2.सहीराम पुत्र फगलूराम, 3.मेगाराम पुत्र फगलूराम, 4.श्रीमती सायरी पत्नी फगलूराम, 5.मानाराम पुत्र रामुराम सभी जाति विश्नोई निवासी–गांव पल्ली, तहसील ओसियां,जिला जोधपुर।	बनाम	1.बगसाराम उर्फ बगसिया उर्फ बरसिंगाराम पुत्र रामूराम, 2.रामनारायणराम पुत्र गुलाबाराम 3.रामकरण पुत्र गुलाबाराम 4.श्रीमती लैली पत्नी गुलाबाराम सभी जाति विश्नोई निवासी गांव पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 5.राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 28.10.2014 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 73/2004

यह अपील बतारीख 30/4/2018 बहाजरी अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से उम्मेदसिह बांवरला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 यथावत रखे जाते है खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30.4.2018 को जारी हो किया गया।

30/4/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

30/4/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर